

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/वे0नि0-08-02/2017

पटना, दिनांक-

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5113 दिनांक-25.11.2024 द्वारा श्री मनोज कुमार साह, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा को दिनांक-02.12.2024 से 14.12.2024 तक कुल 13 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

श्री साह द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि को दिनांक-23.12.2024 तक विस्तार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः श्री साह का पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाश से संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक-5113 दिनांक-23.12.2024 को रद्द करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-02.12.2024 से 23.12.2024 तक कुल 22 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री साह के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-22=278) (दो सौ अठहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

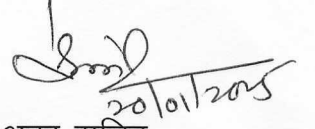
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वे0नि0-08-02/2017 272

पटना, दिनांक- 20/01/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना -800015/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नवादा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), नवादा
अंचल, नवादा/ राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मनोज कुमार
साह, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।


20/01/2025
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।